

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 44/2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

1. काना S/O हेमा बलाई नि. लाडवास, करेड़ा /

प्रार्थी.....

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्मि तहसीलदार करेड़ा

विपक्षीयण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18/11/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाडवास पटवार हल्का लाडवास तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 65 आराजी नम्बर 1253, 2035, 2036, 2037, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 0.4173, 0.3541, 0.2782, 0.1770, 0.3162, 0.4173, 0.2656, 0.0506, 0.0885, 0.1331, 0.6576, 0.1770, 3162/2035, 3163/2036, 0.1265 कुल किता 14 रकबा 3.7179

हैक्टयर भूमि स्थिति 8529 वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18/11/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लाडवास पटवार हल्का लाडवास तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर 1253, 2035, 2036, 2037, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 0.4173, 0.3541, 0.2782, 0.1770, 0.3162, 0.4173, 0.2656, 0.0506, 0.0885, 2045, 2046, 2047, 3162/2035, 3163/2036, 0.1331, 0.6576, 0.1770, 0.1265, 0.2529 कुल किता 14 रकबा 3.7179 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक तमाल को 1700/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिती को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

PP44/2021

2021/956

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा